



कीमत :- 100/-रु.

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान)

-:: भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र :-

(राज. न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत)

250 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में प्रथम तल तक की आवासीय एकल ईकाई (अधिकतम ऊचाई 10 मीटर समस्त संरचनाओं को शामिल करते हुए) के निर्माण हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) डी.एवं 194 (1) के अन्तर्गत

आवेदक की फोटो
मय हस्ताक्षर
प्रमाणित शुदा

आयुक्त

नगर निगम, अजमेर।

महोदय,

मैं/हम नगर निगम, अजमेर क्षेत्र में स्थित भूखण्ड पर नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार भवन निर्माण परविद्धन / पुनः निर्माण कराना चाहता हूँ / चाहती हूँ / चाहते हैं।

01. आवेदक का नाम :-
02. भूखण्ड का प्रकार :- योजना क्षेत्र / गैर योजना क्षेत्र :-
03. योजना स्थान का नाम :-
04. भूखण्ड संख्या :-
05. भूखण्ड का क्षेत्रफल :- वर्गफीट / वर्ग मीटर
06. भूखण्ड का प्रयोजन :- आवासीय / व्यावसायिक / अन्य :-
07. भूखण्ड रिक्त है अथवा भूखण्ड पर निर्माण है :-
08. विद्यमान निर्माण को यथावत रखते हुए नव निर्माण किया जाना है अथवा पुराना निर्माण तोड़कर नया निर्माण करता है। :-
09. आवंटित यदि मूल भूखण्ड है या उपविभाजित पुनर्गठित भूखण्ड :-
10. आवेदक यदि मूल आवंटी नहीं है तो क्या नाम हस्तांतरण हो चुका है :-
11. 31 मार्च तक जमा नगरीय कर की रसीद संलग्न है अथवा नहीं :-
12. भूखण्ड यदि गैर योजना क्षेत्र का है तो आवंटित भूमि का स्वामित्व का क्या आधार है?
विवरण अंकित करें :-
13. आवेदन शुल्क व जांच शुल्क, अनुज्ञा शुल्क व अन्य शुल्क जमा करवा दिया है, जिसकी रसीद संलग्न है :-
.....
14. प्रश्नगत भूखण्ड भवन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति संस्था इत्यादि के मध्य किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय में विवाद लम्बित नहीं है :-
15. प्रश्नगत भूखण्ड / भवन कही पर भी विक्रय या रहन है / नहीं :-



कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान)

16. निम्न दस्तावेज संलग्न है :- (कृपया ✓ करें)

- (1) प्रथम आवंटन पत्र।
- (2) आवंटनी के नाम आवंटन पत्र।
- (3) प्रथम आवंटन व पंजीकृत दस्तावेज एवं नाम हस्तातरण पत्र।
- (4) भूखण्ड गैर योजना क्षेत्र में होने की स्थिति में प्रारम्भ से लेकर वर्तमान आवेदक तक की चैन पूरी करते हुए समस्त मालिकाना हक के दस्तावेजों की पंजीकृत एवं प्रमाणित प्रति मानचित्र के साथ प्रश्नगत स्थल का साईट प्लान जिसमें मुख्य सड़क की चौड़ाई दर्शित हो।
- (5) नगर निगम के नक्शा निवासी लाईसेंस होल्डर एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित भवन विनियम के अनुरूप भवन मानचित्र की छः प्रतियां।
- (6) मौके पर निर्माण तथा वर्तमान निर्माण की सही स्थिति अनुसार मानचित्र।
- (7) चार फोटोग्राफ पोस्टकार्ड साईज के भूखण्ड व आस-पास की स्थिति दर्शाते हुए।
- (8) निर्धारित प्रपत्र में समय-पत्र फोटो युक्त प्रमाणित।
- (9) फोटो युक्त पहचान-पत्र।

17 कुल दस्तावेज संख्या :-

- (1) अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा एवं नियमन हेतु पृथक से आवेदन करना होगा।
- (2) मूल भूखण्ड का उपविभाजन / पुर्नगठन होने की स्थिति में नियमानुसार उपविभाजन / पुर्नगठन की स्वीकृति प्राप्त संलग्न करनी होगी।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर :-

नाम :-

पता :-

.....

..... पिन कोड

दूरभाष :-